प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 344/2001**

**अपीलार्थी** **रामचरण**

**बनाम**

**उत्तरवादी** **छत्तीसगढ़ शासन**

**आदेश हेतु सूचीबद्ध**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**धीरेन्द्र मिश्रा**

**न्यायाधीश**

**_1_.7.2007**

**माननीय श्री एल सी भादू, न्यायाधीश**

**सही/-**

**एल सी भादू**

**न्यायाधीश**

**…2.07.2007**

**दिनांक को सूचिबद्ध किया गया : 03 जुलाई, 2007**

**सही/-**

**धीरेन्द्र मिश्रा**

**न्यायाधीश**

**02.07.2007**

**<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर</u>**

**युगल पीठ : माननीय श्री एल सी भादू, न्यायाधीश एवं**

**माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश**

**<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 344/2001</u>**

**अपीलार्थी** रामचरण, पिता श्री चिंताराम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम पेण्ड्री, पुलिस थाना जांजगीर, जिला जांजगीर चंपा (छ.ग.)

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उत्तरवादी** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना अध्यक्ष (छ.ग.) जांजगीर, जिला जांजगीर चंपा (छ.ग.)

**<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 382/2001</u>**

**अपीलार्थीगण**

1. रामप्यारे, पिता श्री मनीराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम पेण्ड्री, जांजगीर
2. रामावतार, पिता श्री रामप्यारे, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय श्रमिक, निवासी ग्राम पेण्ड्री
3. मोहितराम, पिता श्री रामप्यारे उम्र लगभग 30 वर्ष,

व्यवसाय श्रमिक, निवासी ग्राम पेण्ड्री

बनाम

**उत्तरवादी** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना अध्यक्ष (छ.ग.) जांजगीर, जिला जांजगीर चंपा (छ.ग.)

उपस्थित: श्री वी सी ओट्टालवार, दाण्डिक अपील क्रमांक 344/01 में अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री संतोष भरत, दाण्डिक अपील क्रमांक 382/01 में अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, उप शासकीय अधिवक्ता सहित श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>आदेश</u>**

(03.07.2007 को पारित)

माननीय धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश, द्वारा पारित;

1. दाण्डिक अपील क्रमांक 344/2001 और दाण्डिक अपील क्रमांक 382/01 इस सामान्य निर्णय द्वारा तय की जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों अपीलें सत्र परीक्षण क्रमांक 32/97 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा पारित दिनांक 30.3.2001 के निर्णय से

उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मृतक तुलसीराम, बुल्लू कश्यप और कचरा बाई की हत्या के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और प्रत्येक हत्या के लिए 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि सभी सजाएँ समवर्ती रूप से चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि आरोप पत्र, प्रथम सूचना पत्र और गवाहों के बयान से सामने आया, यह है कि मृतक तुलसीराम, अपीलार्थी रामचरण के पिता चिंताराम, अपीलार्थी रामप्यारे के पिता मनीराम और दशरथ भाई थे। अपीलार्थी मोहितराम और रामअवतार, रामप्यारे के पुत्र हैं। घटना दिनांक से पहले दशरथ की मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे दो पुत्रियां छोड़ गए थे, परिवार में बंटवारा हो चुका था और प्रत्येक हिस्सेदार को बंटवारे में 2.5 एकड़ कृषि भूमि मिली थी, रहने का घर भी बंटवारा हो गया था और दशरथ के हिस्से को लेकर विवाद था। अभिलेख  पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि दशरथ की विधवा राधाबाई का हिस्सा मृतक तुलसीराम के कब्जे में था। पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए रामप्यारे ने एक पंचायत बुलाई थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपराध की जांच मृतक बुल्लू राम कश्यप की पत्नी ननकी नोनी द्वारा दिनांक 13.10.1996 को दोपहर लगभग 3.35 बजे पुलिस थाना जांजगीर में रिपोर्ट (प्रदर्श पी -1) दर्ज कराने के बाद शुरू की गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह अपने ससुर रामप्यारे पुत्र

मनीराम के साथ पेंड्री में रहती है, उसके घर के पास ही उसका ससुर रहता है, तुलसीराम और रामप्यारे के बीच लगभग पांच साल पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में झगड़ा हुआ था और आज, तुलसीराम और उसका पति उक्त अतिक्रमित जमीन पर खूंटे लगा रहे थे और इसी बात को लेकर मोहितराम, रामअवतार, रामप्यारे और रामचरण ने मिलकर दोपहर लगभग 2.00 बजे घर के पिछवाड़े कचरा बाई से झगड़ा किया। यह सुनकर उसका ससुर वहां गया, जिस पर चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी रामप्यारे ने लाठी से उस पर हमला कर दिया जिससे उसके ससुर वहीं गिर पड़े। उसकी सास ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया और वह भी वहीं गिर पड़ी। इसके बाद वे सभी भुवन कश्यप के घर गए जहां उसका पति बैठा था और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। वे उसे घसीटते हुए उसके घर ले गए। मोहितराम अपने घर से भारी हथौड़ा लाया और उसके घर में उसके पति के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहितराम घर के पीछे किचन गार्डन में गया और उसके ससुर और सास के सिर पर भारी हथौड़े से हमला किया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। चारों आरोपी उसके बेटे राजू को खोजने लगे, जो डर के मारे भाग गया था। उसके पति का शव उसके घर के आंगन में पड़ा है। उसकी सास का शव भी आंगन में पड़ा है, जबकि उसके ससुर का शव किचन गार्डन में पड़ा है। मारपीट को मनहरण गोंड, उसकी बेटी विमला, प्रमिला, राजू, जानकीबाई और सुरेश ने देखा था। शिकायतकर्ता ननकी नोनी की सूचना के आधार पर तुलसीराम के प्रदर्श पी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

50, कचरा बाई के प्रदर्श पी -51 एवं बुल्लू कश्यप के प्रदर्श पी -52 की मर्ग सूचना दर्ज की गई।

4. मृतक कचरा बाई, तुलसीराम और बुल्लू कश्यप के शवों की जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी -16, पी-18 और पी-20) गवाहों की उपस्थिति में तैयार की गई और उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जांजगीर भेजा गया, जहां डॉ. एच.आर. थारवानी (आ.सा.-8) ने मृतक बुल्लूराम के शव का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी -16 दी। डॉ. यू.सी. शर्मा (आ.सा.-9) ने मृतक कचरा बाई के शव का पोस्टमार्टम किया और शव परिक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी -28 तैयार की। डॉ. ए.के. द्विवेदी (आ.सा. -10) ने मृतक तुलसीराम के शव का पोस्टमार्टम किया और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी -31 है। उन्होंने 13.10.1996 को रात लगभग 11.00 बजे घायल राजू राजकुमार की भी जांच की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. रामअवतार (प्रदर्श पी -1) के मेमोरेंडम पर प्रदर्श पी -12 के तहत खून से सना डंडा, लोहदंड, शर्ट, फुलपैंट बरामद किया गया, मोहितराम (प्रदर्श पी -2) के मेमोरेंडम पर प्रदर्श पी -11 के तहत खून से सना लोहे की रॉड, पैंट और सफेद शर्ट बरामद किया गया; रामचरण (प्रदर्श पी -3) के मेमोरेंडम पर प्रदर्श पी -10 के तहत लकड़ी की लाठी और सफेद धोती में लगा खून से सना लोहे का चवर बरामद किया गया और रामप्यारे (प्रदर्श पी-4) के मेमोरेंडम पर प्रदर्श पी-9 के तहत खून से सना लाठी और लुंगी बरामद की गई। मृतक तुलसीराम, कचरा बाई और बुल्लू कश्यप के शव जहां पड़े थे, वहां से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी

प्रदर्श पी -5, प्रदर्श पी -7 और प्रदर्श पी -8 के तहत कब्जे में ली गई। आरोपियों के नाखून काटने के बाद उन्हें क्रमशः प्रदर्श पी -35, पी-36, पी-37 और पी-38 के तहत कब्जे में लिया गया। रक्त से सने जब्त सामान को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में प्रदर्श पी -41 के तहत भेजा गया था। जब्त हथियार यानी लाठी, चटवार, लोहे की छड़, भारी हथौड़ा आदि को प्रदर्श पी -44, पी-45 और पी-46 के अनुसार डॉक्टर के पास उनकी अभिमत के लिए भेजा गया था, जहां डॉक्टर ने प्रदर्श पी -32, पी-33 और पी-29 के अनुसार अभिमत दी कि शव परिक्षण प्रतिवेदन में वर्णित सभी चोटें अपराध के हथियारों के कारण हो सकती हैं। हल्का पटावरी द्वारा स्पॉट मैप (प्रदर्श पी -23) तैयार किया गया था। आरोपी रामचरण को भी प्रदर्श पी -55 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जांजगीर में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था, जहां डॉ. यूसी शर्मा (आ.सा. -9) ने उनकी जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी -56 दी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी -57 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. जांच पूरी करने के बाद, आरोपियों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की न्यायालय को सौंप दिया और इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत अलग से आरोप तय किए। कचरा बाई,

तुलसीराम और बुल्लू कश्यप की मौत का कारण बनने वाले आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

7. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कुल 22 गवाहों का परीक्षण किया। आरोपियों के बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन मामले में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया। आरोपी रामप्यारे ने बचाव में कहा कि घटना की तारीख को वह अपने घर के सामने बैठा था, उस समय तुलसीराम ने बुल्लू के घर के सामने स्थित सरकारी जमीन पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रोका, तो उसने उसे गाली दी और मारने की धमकी दी। उस समय, वह अपने घर में अकेला था, क्योंकि उसके दोनों बेटे काम पर गए थे। वह डर गया और मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद उसके पड़ोसी इकट्ठा हुए और तुलसी और बुल्लू को गाली देने और झगड़ा करने से रोका। जब वे नहीं रुके, तो उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। मृतक तुलसीराम और बुल्लू ने गाली देना जारी रखा अपीलार्थी मोहितराम ने भी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और कहा कि घटना के दिनांक को वह सुबह बजे से सिंचाई विभाग के वर्मा साहब के घर काम करने गया था। उसे घटना के बारे में कुछ नहीं पता, वह निर्दोष है और उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी रामचरण ने भी बचाव किया है कि वह गांव के वार्ड क्रमांक 4 का पंच है, दोपहर करीब 2 बजे एक बच्चा उसे समझाने के लिए बुलाने आया, जिस पर वह उस बच्चे के साथ गया और तुलसीराम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और बुल्लू से कहा कि वे झगड़ा न करें, क्योंकि संबंधित जमीन अतिक्रमित है और उन्हें सलाह दी कि वे सरपंच के माध्यम से मध्यस्थता करके मामला सुलझा लें, जिस पर तुलसीराम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और लाठी से हमला किया जिससे वह बेहोश हो गया और उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। अपीलार्थी रामअवतार ने भी अभियोजन पक्ष के आरोप से इनकार किया और कहा कि वह लक्ष्मी राइस मिल में कुछ काम से गया था। उसे घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह निर्दोष है और उसे झूठे अपराध में फँसाया गया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तुलसीराम, बुल्लू कश्यप और कचरा बाई की हत्या से हुई मौतों का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, डॉ. एच.आर. थारवानी (आ.सा.-8) के बयान से, जिन्होंने बुल्लू कश्यप की शव परिक्षण प्रतिवेदन को प्रमाणित किया है और उनके शरीर पर नीचे वर्णित चोटों के निशान पाए हैं, बुल्लू कश्यप की हत्या से हुई मौत की पुष्टि होती है।

- पार्श्विका पश्चकपाल और टेम्पोरल पार्श्विका क्षेत्र से दृश्यमान मस्तिष्क पदार्थ बाहर आ गया था और रक्त जम गया था।

**<u>बाह्य परीक्षण पर</u>**;

- पश्चकपाल पार्श्विका क्षेत्र पर अनुप्रस्थ दिशा में 3"**x**1"**x** हड्डी तक गहरा एक कटा हुआ घाव मौजूद था। खून जम गया था।
- दाहिनी ओर टेम्पोरल पैरिएटल क्षेत्र और ललाट क्षेत्र में मस्तिष्क की गहराई में 8"**x**4" आकार का घाव था, खून जम गया था।
- ठोड़ी के बीच में 5"**x**1" हड्डी गहरा घाव था। थक्कादार खून भी मौजूद था।

**<u>आंतरिक जांच पर</u>**;

- पश्चकपाल पार्श्विका क्षेत्र में 3"**x**2" **x** हड्डी जितनी गहरी फ्रैक्चर। खून जम गया था। ड्यूरा मैटर भी पाया गया। मस्तिष्क के किसी हिस्से में घाव।
- टेम्पोरल पैरिएटल क्षेत्र और ललाट की हड्डी में फ्रैक्चर। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था। खून जम गया था।
- जबड़े की हड्डी दो भागों में टूटी हुई थी और खून जम गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>अभिमत</u>**

मौत का कारण सिर पर चोट और चोट के कारण बाहरी और आंतरिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप सदमे से हुई मौत थी। जबड़े की हड्डी। मृतक के शरीर पर मौजूद चोटें सामान्य प्राकृतिक क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

10. इसी प्रकार, डॉ. यू.सी. शर्मा (आ.सा. -9) के बयान से, जिन्होंने मृतक कचरा बाई के शरीर का पोस्टमार्टम किया है और प्रदर्श पी -28 की शव परिक्षण प्रतिवेदन को साबित किया है और नीचे वर्णित चोटों को पाया है, कचरा बाई की हत्या की पुष्टि होती है।

**<u>बाह्य परीक्षण पर;</u>**

- खोपड़ी के बाएँ टेम्पोरल क्षेत्र पर 13 सेमी **x** 5 सेमी आकार का घाव, मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त था। खून का थक्का जम गया था। उपरोक्त हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया गया।
- चेहरा चपटा और कुचला हुआ था और पीला पड़ गया था। जीभ भी पीली पड़ गई थी।
- चेहरे के बायीं ओर जाइगोमैटिक क्षेत्र में 4 सेमी **x** 2 सेमी **x** 2 सेमी आकार का घाव।
- पार्श्विका खोपड़ी पर 6 सेमी **x** 6 सेमी आकार का घाव था तथा अंदर की हड्डी टूटी हुई थी।
- पश्चकपाल पार्श्विका खोपड़ी पर 5 सेमी **x** 2 सेमी **x** 2 सेमी आकार का घाव।
- बाएं पार्श्विका पर 3 सेमी **x** 5 सेमी **x** 1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव
- चोट नं. 5 के ठीक ऊपर खोपड़ी।
- सभी चोटें गहरी थीं और धोने योग्य नहीं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>आंतरिक जांच पर;</u>**

- मस्तिष्क की झिल्ली अवरुद्ध पाई गई, मस्तिष्क का पदार्थ क्षतिग्रस्त हो गया था तथा रक्त का थक्का जम गया था।
- बाईं छाती पर 20 **x** 10 **x** 1.5 सेमी आकार का घाव था, लेकिन बाईं ओर की पाँचवीं, छठी, सातवीं पसलियाँ और दाईं ओर की सातवीं, आठवीं और नौवीं पसलियाँ टूटी हुई थीं। हृदय के सभी कक्ष खाली थे। बाएँ निलय पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे।
- सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं और किसी भी वस्तु से चोट नहीं लगी, सिवाय चोट क्रमांक 4 के जो किसी तेज धार वाले हथियार से लगी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>अभिमत:</u>**

मृत्यु का कारण ऊपर वर्णित चोटों के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण है तथा यह हत्या की प्रकृति का प्रतीत होता है।

11. डॉ. ए.आर. द्विवेदी (आ.सा. -10) के साक्ष्य से, जिन्होंने मृतक तुलसीराम की शव परिक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी -31) को साबित किया है और मृतक के शरीर पर नीचे वर्णित चोटें पाई हैं, तुलसीराम की हत्या की पुष्टि होती है।

- माथे के बीचों-बीच 5**x**4 सेमी **x** 4 सेमी आकार का घाव। उस जगह की हड्डी चिप्स के रूप में बाहर आ गई थी और चोट के नीचे मस्तिष्क का पदार्थ क्षतिग्रस्त हो गया था और गाढ़ा खून का थक्का जम गया था।
- ऊपरी होंठ के दाहिनी ओर 4**x**1**x**1 सेमी आकार का घाव।
- दाएँ जबड़े की हड्डी के साथ-साथ दाएँ तरफ़ के कृंतक दांत और कैनाइन दांत भी फ्रैक्चर हो गए थे। दाएँ जबड़े पर भी कई फ्रैक्चर थे।
- खोपड़ी के पश्चकपाल क्षेत्र पर मध्य रेखा और ऊर्ध्वाधर स्थिति में 4**x**1**x**1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव।
- बाएँ पार्श्विका क्षेत्र के पीछे की ओर 2**x**1**x**0.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव। चोट तिरछी थी।
- दाहिने हास्य और दाहिने अग्रबाहु पर कई फ्रैक्चर।
- बाएं हाथ के ऊपरी एक तिहाई भाग पर सामने की ओर 3**x**1**x**2 सेमी आकार का एक मिश्रित बहु फ्रैक्चर, एक फटा हुआ घाव।
- बाएँ अग्रबाहु के सामने की ओर, बीच के एक-तिहाई हिस्से पर 4**x**1**x**1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव। दाहिने पैर की हड्डी में कई फ्रैक्चर हैं। हड्डी के सिरे बुरी तरह कुचले हुए और निचले हिस्से में थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- दाहिने पैर के सामने के एक-तिहाई हिस्से के मध्य भाग में 10**x**5 सेमी आकार का एक घाव था जिसमें हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दिखाई दे रही थीं। दाहिने टखने के ठीक ऊपर, 5**x**3 सेमी आकार का एक घाव था जिसमें हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दिखाई दे रही थीं। टूटी हुई और बुरी तरह कुचली हुई हड्डियों के सिरे दिखाई दे रहे थे।
- बाएँ पैर की हड्डियों में कई फ्रैक्चर थे और साथ ही घाव भी था। कुचले हुए सिरों से टूटी हुई हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं।

  ➤ बाएं पैर के सामने वाले भाग के मध्य 1/3" भाग पर 10 सेमी **x** 5 सेमी आकार का घाव। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दिखाई दे रही थीं।

  ➤ बाएं टखने के ठीक ऊपर सामने की ओर 6 सेमी **x** 4 सेमी आकार का घाव, हड्डियां और मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं।

- उपरोक्त सभी चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थीं तथा ये सभी मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>अभिमत:</u>**

मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम जांच के 24 घंटे के भीतर कई चोटों के कारण न्यूरोजेनिक शॉक और रक्तस्राव (रक्तस्राव) बताया गया है।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि कथित प्रत्यक्षदर्शियों ननकी नोनी (आ.सा. -2), कुमारी विमला (आ.सा. -5), जानकी बाई (आ.सा. -11) और राजू उर्फ राजकुमार (आ.सा. -19) के बयानों पर आधारित है। ननकी नोनी (आ.सा. -2) मृतक बुल्लू कश्यप की पत्नी हैं, विमला (आ.सा. -5) और राजू (आ.सा. -19) मृतक बुल्लू कश्यप की पुत्री और पुत्र हैं, जबकि जानकी बाई (आ.सा.-11) मृतक कचरा बाई की बहन हैं और इस प्रकार वे अत्यधिक रुचिकर गवाह हैं। यद्यपि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध हैं, लेकिन या तो उनकी जांच नहीं की गई है या उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। स्वतंत्र गवाह मनहरण गोंड और सुरेश, जिनके नाम प्रथम सूचना पत्र में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दर्ज हैं, की जांच नहीं की गई है और उनकी जांच न करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इन गवाहों के बयानों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट होगा कि उन्होंने घटना के समय और मूल को छिपाने की कोशिश की है, उनके बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और चूक हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण विवरणों पर एक-दूसरे द्वारा दिए गए बयानों का भी खंडन किया है। हालाँकि, विद्वान निचली न्यायालय ने इन गवाहों के बयानों में मौजूद महत्वपूर्ण विसंगतियों को नज़रअंदाज़ करके अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने पहले की रिपोर्ट को दबा दिया है और प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी -1) एक जाली दस्तावेज है, क्योंकि इसे बाद में घटनास्थल पर पहुंचने के बाद और संभवतः घटना के अगले दिन यानी 14.10.2003 को उचित विचार-विमर्श के बाद दर्ज किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। प्रथम सूचना पत्र  का मनगढ़ंत होना इस तथ्य से भी स्थापित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया गया कि अपराध दर्ज करने के बाद दं.प्र.सं की धारा 157 के तहत विशेष रिपोर्ट तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी गई थी। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्ट होगा कि घटना सुबह में हुई जब तुलसीराम द्वारा खूंटे लगाए जा रहे थे, घटना की जानकारी दोपहर 12.00 बजे से पहले ही पुलिस के पास उपलब्ध थी, घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मी गांव में मौजूद थे और वे शिकायतकर्ता नानकी नोनी (आ.सा. -2) के साथ थाना गए थे। यह दर्शाया गया है कि घटना अपराह्न 3.35 बजे हुई थी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि घटना अपराह्न 2.00 बजे हुई, जो कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर झूठा और जाली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे कहा कि जाँच अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुँचने के तुरंत बाद मार्का नक्शा तैयार नहीं किया, जिससे जाँच की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। घटना के समय में सुबह 8-9 बजे से दोपहर 2 बजे तक की हेराफेरी जानबूझकर की गई है, क्योंकि नानकी नोनी (आ.सा.-2) दोपहर 12 बजे घर लौट आई थी, जबकि जानकी बाई (आ.सा. -11) इलाज के लिए खोखरा गई थी और वहाँ से रात 11-12 बजे ही लौटी। राजू @ राजकुमार (आ.सा. -19) भी घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि वह सुबह अपनी भैंसों को चराने गया था, जहां से वह लगभग 11 बजे लौटा।

अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता रामप्यारे बिना सहारे के चलने में असमर्थ है और उसे ज़मीन संबंधी विवाद के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मृतक तुलसीराम के गाँव वालों से संबंध खराब थे और गाँव वालों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। उसकी कुछ गाँव वालों से दुश्मनी थी, क्योंकि गाँव वालों का आरोप है कि वह गाँव वालों को बेरहमी से पीटता था।

जहाँ तक अपीलकर्ताओं के प्रकटीकरण कथनों पर अपराध के हथियारों की बरामदगी का प्रश्न है, ज्ञापनों और बरामदगी के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं से कथित रूप से जब्त किए गए अपराध के हथियार प्रकरण  के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतकों के शरीर पर मौजूद चोटें उक्त हथियारों के कारण हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में, जब्त किए गए हथियारों पर खून की मौजूदगी के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला  रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने  विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है और बिकाऊ पांडे बनाम बिहार राज्य एआईआर 2004 एससी 997 के मामले में फैसले पर का अवलेख लेते हुए व्यक्त किया है की घटना के चार प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनमें से एक राजू राजकुमार (आ.सा. 19) एक घायल प्रत्यक्षदर्शी है।

उनके साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक व्यक्तियों के रिश्तेदार थे। उनके संस्करण को रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट और सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट से विधिवत रूप से पुष्टि की गई है, जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों से जब्त हथियारों और खून से सने कपड़ों पर और आरोपी व्यक्तियों के नाखूनों में मानव रक्त की मौजूदगी की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता ने साबित कर दिया है मेमोरेंडम और बरामदगी जो कि साक्षी कार्तिक राम (आ.सा. -15) के बयान और रत्तल लाल (आ.सा. -12) के बयान से पुष्ट होती है।

उन्होंने आगे तर्क़ दी कि जहाँ गवाहों द्वारा बताई गई घटना का विवरण न्यायालय का विश्वास जगाता है, वहाँ जाँच या आचरण में कमियाँ, अनियमितताएँ या अवैधताएँ कोई मायने नहीं रखतीं। अभियोजन पक्ष के बयान को दं.प्र.सं की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्तों के बयान से भी समर्थन मिलता है, जिसमें अपीलकर्ता रामचरण और रोमप्यारे ने स्वीकार किया है कि दोपहर में मृतक और उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

14. अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए दिए गए फैसले में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निम्नानुसार हैं: -

❖ ननकी नोनी, विमला, जानकी और राजू राजकुमार घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

- नानकी नोनी ने शपथ पर दिए गए अपने बयान में घटना का विस्तृत विवरण दिया है तथा अपने पति, ससुर और सास पर हमला करने में प्रत्येक आरोपी की भूमिका के बारे में बताया है।

- ननकी नोनी के बयान की पुष्टि विमला के बयान से होती है, जो तुलसी, कचरा बाई और बुल्लू कश्यप पर हमले की प्रत्यक्षदर्शी है। जानकी बाई भी घटना की प्रत्यक्षदर्शी है और उपरोक्त तीनों गवाहों के बयान की पुष्टि अभियोजन साक्षी क्रमांक 19 राजू के बयान से भी होती है।

- प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की पुष्टि तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी (प्रत्यक्ष पी-1) से भी होती है क्योंकि घटना दोपहर 14:00 बजे की है और रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 1:35 बजे नानकी नोनी (आ.सा. -2) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें हमलावरों के रूप में चारों अपीलकर्ताओं के नाम दर्ज हैं। उनके बयान की पुष्टि तीनों की शव परिक्षण प्रतिवेदन से भी होती है मृतक व्यक्तियों की स्थिति और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई चोटें शव परिक्षण प्रतिवेदन में बताई गई चोटों से मेल खाती हैं।

- उपरोक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त, अभियुक्तों के मेमोरेंडम पर अपराध के हथियार और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के नाखून भी काटकर जब्त कर लिए गए हैं। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला  रिपोर्ट के अनुसार, जब्त की गई वस्तुओं पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खून के धब्बे पाए गए। इस प्रकार, उनके मेमोरेंडम पर वस्तुओं की जब्ती और जब्त की गई वस्तुओं में खून की उपस्थिति अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एक अतिरिक्त साक्ष्य है।

- ❖ वर्तमान मामले में साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने हमला किया, इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जाता है कि अपराध सभी चार अभियुक्तों द्वारा सामान्य इरादे से किया गया था।
- ❖ अपीलकर्ता रामचरण के शरीर पर मौजूद चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने से अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध नहीं होगा, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक व्यक्ति घटना के समय कोई हथियार पकड़े हुए थे।
- ❖ अपीलकर्ता रामप्यारे के बचाव को इस टिप्पणी के साथ नकार दिया गया कि अपीलकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था और यह पाया गया कि वह लंगड़ा नहीं था और इस निष्कर्ष के साथ अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. चूंकि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला नानकी नोनी बाई (आ.सा. -2), कुमारी विमला (आ.सा. -5), जानकी बाई (आ.सा. -11) और राजू राजकुमार (आ.सा. -19) के बयानों पर आधारित है, जिन्हें घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है और दोषसिद्धि भी मुख्य रूप से इन गवाहों के बयान पर आधारित है, इसलिए हम संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में इन गवाहों के बयान की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

**<u>ननकी नोनी बाई (आ.सा.-2)</u>**

16. इस साक्षी ने बताया है कि घटना 13 अक्टूबर की है। अभियुक्तगणों ने उसकी सास (मृतक कचरा बाई) व ससुर (मृतक तुलसीराम) को आबादी भूमि पर खूँटा गाड़ने पर आपत्ति की तथा गाली-गलौज की। अभियुक्तगणों का घर उसके घर के पास ही है। जब उसकी सास वहाँ गई तो अभियुक्तगणों ने कहा कि अपने पति व बेटे को भेज दो, वे उन्हें पीटेंगे तथा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह सुनकर उसके ससुर घर से निकलकर कोला की ओर गए जिस पर चारों ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मोहित ने रॉड से, रामचरण ने चटवार से, रामप्यारे व रोमावतार ने लाठी से उसके ससुर पर हमला किया। उसके बेटे, पति, सास व उसने स्वयं अपने ससुर पर हुए हमले को देखा था। मारपीट की सूचना पाकर उसका पति भी कोला की ओर पहुँच गया था। जानकी व सुरेश ने भी घटना देखी है। रामचरण ने उसके बेटे राजकुमार पर लाठी से हमला किया है। ससुर पर आरोपियों द्वारा हमला होते देख वे उसकी ओर दौड़े, उस समय चारों व्यक्तियों ने भागते हुए उसकी सास पर आंगन में हमला किया जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई और उसके ससुर की कोला में मृत्यु हो गई। उन्होंने राजकुमार को भी उसके घर में पीटने के लिए खोजा, हालांकि, उसका बेटा घर से कूद गया और खेत की ओर भाग गया। जब आरोपियों ने उसके पति को भुवन के घर की ओर जाते देखा, तो वे उसे भुवन के घर से घसीटते और पीटते हुए अपने घर की ओर लाए और उसकी सास के शव के पास फेंक दिया, उस समय तक उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने अपने पति के मुंह में पानी डाला, तो वह बाहर आ गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोहित अपने घर गया, एक भारी हथौड़ा लाया और उसके ससुर के मृत शरीर पर उससे प्रहार किया। मोहित उनके आंगन में भारी हथौड़ा लेकर आया और उसके पति और सास के सिर पर उस भारी हथौड़े से हमला किया चारों आरोपी उसके बेटे की तलाश में गए, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला और वे रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए।

प्रतिपरीक्षण में कंडिका-3 में इस साक्षी ने कहा है कि जब उसके ससुर पैग की मरम्मत रहे थे, तो रामप्यारे ने उन्हें रोका था, उस समय रामप्यारे अकेले थे। पैग की मरम्मत का काम सुबह 8-9 बजे शुरू हुआ था। सुबह में, हालांकि, उसने यह नहीं देखा कि उस समय कौन मौजूद थे क्योंकि वह खेत की ओर भैंसों के लिए चारा लाने गई थी और लगभग 12 बजे दोपहर में वहां से लौटी थी। मारपीट और घायल होने की घटना दोपहर 2 बजे हुई, जब वह लौटी तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। चारों आरोपी एक साथ मारपीट कर रहे थे, वह यह नहीं कह सकती कि उसके ससुर पर पहला हमला किसने किया। चार आरोपी वहां खड़े थे जहां मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। उसके ससुर ढेर के नीचे खड़े थे और चारों ने उन पर सामने से हमला किया । कोला शिकायतकर्ता और आरोपी व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे में है और इसका बंटवारा नहीं हुआ था । तुलसी पर हमला होते देख उसकी सास भागने लगी और उसे आंगन के पास आरोपियों ने पकड़ लिया। वे भी आंगन में थे जब उसकी सास पर हमला किया जा रहा था उसका पति भुवन के घर की ओर भागा। अपने ससुर और सास की मृत्यु के बाद, वह अपने पति को ढूँढने कोला के पास गई और तब उसे पता चला कि वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहाँ भाग गए हैं। उसने अपने पति को तब देखा जब वे उसे भुवन के घर से पीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। जब वे उसे घसीट रहे थे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि जब वे (मृतक) आरोपियों से झगड़ रहे थे, तो बदला लेने के लिए गाँव वालों ने उसकी सास, ससुर और पति की हत्या कर दी और वे आरोपियों को झूठा फँसा रहे हैं।

बचाव पक्ष की ओर से लंबी प्रतिपरीक्षण में मोहितराम द्वारा भारी हथौड़े से हमला अभियुक्तों द्वारा उसके पति को भुवन के घर की ओर जाते देखना, आँगन में उसकी सास पर हमला, रामचरण द्वारा राजकुमार पर लाठी से हमला जैसी चूकें प्रदर्श पी -1 की प्रथम सूचना पत्र में बताई गई हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण  में स्वीकार किया है कि मिट्टी के ढेर के कारण रोमप्योर के घर के सामने का रास्ता संकरा हो गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि गाँव वालों ने तुलसी को बहिष्कृत कर दिया था और उसकी कुछ गाँव वालों से दुश्मनी थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि रामचरण ने 7-8 साल पहले तुलसी से टकराव से बचने के लिए उसका घर तोड़कर रास्ता बना लिया था। कंडिका 34 में उसने स्वीकार किया है कि घटना खूँटी लगाने को लेकर शुरू हुई थी। विवाद उसकी सास से हुआ था और उसी समय उसके ससुर वहाँ पहुँच गए थे। कंडिका 42 में उसने कहा है कि घटना के बाद उसके गाँव का एक व्यक्ति पुलिस के साथ उसके घर आया था, हालाँकि, वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानती। पुलिसकर्मी ने उसका बयान नहीं लिया और उसे अपने साथ चलने को कहा। जब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसके साथ कोई नहीं गया और वह उस पुलिसकर्मी के साथ पुलिस स्टेशन जांजगीर गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वह पुलिस निरीक्षक के साथ गाँव लौट आई थी। उसका बयान घटना स्थल के पास दर्ज किया गया था।

**<u>विमला (आ.सा.-5):</u>**

17. यह साक्षी मृतक बुल्लू और शिकायतकर्ता नोनकी नोनी बाई (आ.सा. 2) की पुत्री है। उसने बताया कि जब उसके पिता कोला में खूंटा गाड़ रहे थे, तो आरोपियों ने पहले तो उनके साथ गाली-गलौज की, जिसके बाद उसके दादा (तुलसी) वहां आए और उन्होंने तुलसीराम के साथ मारपीट शुरू कर दी। मोहित ने डंडे से, झुरू ने चटवार से, रामअवतार और रामप्यारे ने लाठी से तुलसी पर हमला किया। जब उसकी दादी वहां पूछताछ करने गईं, तो चारों ने उनके साथ भी मारपीट की। भुवन की दुकान के पास चारों ने उसके पिता के साथ मारपीट की। उसने मारपीट के बारे में सुना है, लेकिन उसने आरोपियों को उसके पिता को घसीटते हुए देखा। इसके बाद, खोरवा, रामप्यारे उसके पिता को अपने घर के पास ले गए और डंडे से हमला किया और उसके बाद उन्हें उसके घर में फेंक दिया। मोहित एक भारी हथौड़ा लेकर गया और उसके पिता के सिर पर तीन वार किए। इसके बाद उसने बाबा (तुलसी) और दादी को भारी हथौड़े से कुचल दिया। उस समय उसका भाई घर में छिपा हुआ था। झुरू ने उसे एक लाठी मारी, जिससे वह वहाँ से कूद गया और खेत की ओर भाग गया। प्रतिपरीक्षण के कंडिका-8 में इस साक्षी ने कहा है कि मारपीट की घटना खूँटा गाड़ते समय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हुई थी। उसके पिता सुबह लगभग 10 बजे जांजगीर से दूध बेचकर लौटे थे और उसके बाद उन्होंने खूँटा गाड़ना शुरू किया था। हालाँकि, वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि खूँटा गाड़ने का समय क्या था। उसने स्वीकार किया है कि पिटाई के समय पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसके पिता और दादा अभियुक्तों को गालियाँ दे रहे थे, जिस पर रामप्यारे चिल्लाए थे और रामप्यारे की चीख सुनकर कई गाँव वाले वहाँ पहुँच गए और तुलसी और बुल्लू को रामप्यारे को गालियाँ देने से रोका। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि इस पर उसके पिता और दादा ने ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज भी शुरू कर दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>जानकी बाई (आ.सा. -11):</u>**

18. यह साक्षी मृतक कचरा बाई की बहन है और ग्राम खिसोरा में रहती है। उसने कहा है कि वह सभी आरोपियों को पहचानती है। घटना के एक दिन पहले वह इलाज के लिए पेंड्री गई थी और कचरा बाई के साथ रह रही थी। उस दिन उसका बेटा सुरेश भी आया था। उसके आने की अगली तारीख को आरोपियों ने खूंटी लगाने को लेकर कचरा बाई को गाली दी थी। कचरा बाई कोला की ओर चली गई, इसके बाद तुलसीराम भी वहां गया और गाली देने का विरोध किया, जिस पर जब तुलसीराम कोला की ओर गया, मोहितराम, रामप्यारे और रामअवतार ने उस पर हमला कर दिया। मोहती ने रॉड से, रामचरण ने चटवार से और रामप्यारे और रामअवतार ने लाठी से तुलसी पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने कचरा

बाई को पीटते हुए आंगन तक पीछा किया और वहां भी उसे पीटा। रामअवतार और रामप्यारे ने लाठी से, रामचरण ने चटवार उन्हें भी बुल्लू घर में नहीं मिला। बाद में वे बाहर गए। उनकी पत्नियों ने बताया कि बुल्लू भुवन के घर में छिपा है, तो वे बुल्लू को ले आए। भुवन को पीटने के बाद उसके घर से बाहर निकाला और उसे आँगन में फेंक दिया। मोहित अपने घर से एक भारी हथौड़ा लाया और कोला में तुसली पर वार किया, उसके बाद आँगन में आकर कचराबाल और बुल्लू पर उस भारी हथौड़े से हमला किया। उसने स्वीकार किया है कि आरोपी रामप्यारे लंगड़ा है और बिना सहारे के चल नहीं सकता। उसने इस बात पर अज्ञानता व्यक्त की कि क्या सुबह जब कई ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और जब मृतक बुल्लू तुलसी और उनके परिवार के सदस्य आरोपियों को गालियाँ दे रहे थे, तब रामप्यारे घर में अकेला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कंडिका 11 में उसने कहा है कि रामचरण को छोड़कर अन्य तीन आरोपियों ने पहले कचराबाई पर और उसके बाद तुलसी पर हमला किया और उस समय उसने उन्हें मारने से रोका था। तुलसीराम पर पहले मोहितराम ने हमला किया, उसके बाद अन्य दो आरोपियों ने, उस समय वह कचराबाई के साथ वहां खड़ी थी। तुलसी जमीन पर गिर गई, तीन आरोपी ढेर से नीचे उतरे, कचराबाई भागने लगी जिस पर उन्होंने उसका पीछा किया और आंगन में उस पर हमला किया। चारों ने कचराबाई पर हमला किया। उस समय भी वह आंगन में खड़ी थी। कंडिका 14 में, उसने आगे कहा है कि कचराबाई पर हमला करने के बाद, तीन आरोपी

व्यक्ति संभवतः भुवन के घर की ओर बाहर चले गए, उसके बाद उसने देखा कि वे भुवन के घर से बुल्लू को पीटते और घसीटते हुए ला रहे थे। कंडिका 15 में उसने स्वीकार किया है कि जब तीन आरोपी व्यक्ति बुल्लू को लाए

प्रतिपरीक्षण में, अगली तारीख को दोपहर लगभग 1.30 से 2.00 बजे के बीच अभियुक्तों द्वारा गालियाँ देने, कचराबाई द्वारा हस्तक्षेप करने और भारी हथौड़े से हमला करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसने बताया है कि घटना की तारीख को वह इलाज के लिए खोखर गाँव गई थी और वहाँ से लगभग 11-12 बजे दिन में लौटी थी और कचराबाई के घर पर मौजूद थी। उसने प्रदर्श डी-2 के अपने इस कथन का खंडन किया है कि खूँटी लगाने को लेकर विवाद हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>राजू राजकुमार (आ.सा. -19);</u>**

19. यह साक्षी मृतक बुल्लू कश्यप का पुत्र है। उसने बताया कि अभियुक्त रामप्यारे का घर उसके घर से सटा हुआ है, रामप्यारे से कोला की जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन उसके दादा (तुलसी) कोला में खूंटी लगा रहे थे, उस समय वह अपने घर में सो रहा था। लगभग 2.03-3.00 बजे 'मारो-मारो' की आवाज सुनकर वह अचानक जाग गया और कोला की ओर दौड़ा। उसने कोला के गेट से देखा कि रामचरन ने चटवार, रोमप्यारे व रामअवतार ने लाठी से तथा मोहितराम ने रॉड से तुलसी पर हमला कर दिया वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसी समय उसका पिता बुल्लू भी वहां

आ गया और मारपीट देखकर डर के मारे वहां से भाग गया। चारों आरोपी कोला से अपने घर आए, उस समय वह कोला के दरवाजे के पास खड़ा था, वे चिल्ला रहे थे कि इसे और इसके पिता को मार दो और उसके बाद रामचरण ने उसकी पीठ पर चटवार से वार किया जिस पर मोहित ने उसे यह कहते हुए रोका कि वह भाई है इसे मत मारो और आगे बढ़ गए। उस समय उन्हें कचराबाई मिली और उन्होंने उसे पीटा। उसकी मां नानकी नोनी वहां आई और उससे कहा कि भाग जाओ वरना उसे भी मार देंगे। इसके बाद वह पटाव पर चढ़ गया और वहीं रहने लगा। आरोपी उसे और उसके पिता को खोज रहे थे। मोहितराम छत पर चढ़ गया, मोहित की आवाज सुनकर वह पटाव से कूद गया और नहर (भाटा) की ओर भाग गया। सूर्यास्त के समय वह दुलारसाय के घर गया और वहां छिप गया अपने पिता दादा और दादी की हत्या की सूचना मिलने पर, वह दुलारसाय और दो अन्य लोगों के साथ लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात पुलिस से हुई और बाद में उसने देखा कि बुल्लू और कचराबाई के शव उसके आँगन में पड़े थे, जबकि तुलसी का शव कोला में पड़ा था। पुलिस उसे जाँच के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर के उपलब्ध न होने के कारण उसकी जाँच नहीं हो सकी। उसने स्वीकार किया है कि उसके दादा ने घटना से लगभग 20 दिन पहले मिलवान के बेटे और दिलवा के बेटे को थप्पड़ मारे थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इस संबंध में कोई पंचायत बुलाई गई थी। उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता व्यक्त की कि 20-25 व्यक्तियों ने उक्त पंचायत में तुलसीराम को बुलाया था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तुलसीराम ने पंचायत में जाने से इनकार कर दिया और बुलाए जाने पर भाग गया। उन्होंने स्वीकार किया है कि ग्रामीणों ने उनके अन्यायपूर्ण कृत्यों के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया है और उन्हें नहीं पता कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता और दादा अन्याय करते हैं और ग्रामीणों का शोषण करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता और दादा ने पुनीराम, मिलावन, पीरत, खीखराम, कुसुराम से झगड़ा किया था या नहीं। सुबह वह भैंस चराने गए थे और लगभग 11 बजे वापस लौटे। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि रामप्यारे के हाथ और पैर में कांपते हैं, वह बिना सहारे के नहीं चल सकता और वह लाठी का सहारा लेता था। घटना के दिन उनका बयान दर्ज किया गया था और उसके बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में कोला के गेट से घटना को देखने और अभियुक्तों द्वारा 'मारो-मारो, सबको मार डालो, उसे और उसके पिता को मार डालो' चिल्लाने की चूक की ओर इशारा किया गया है। उसने स्वीकार किया है कि जिस जगह वह खड़ा था और घटनास्थल के बीच कई पेड़ हैं और अभियुक्तों का पशुशाला भी है, जो दीवार से घिरा हुआ है।

20. उपरोक्त चार प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से हमने पाया कि चारों ने लगभग एक समान बयान दिया है;

क. हमलावरों का नाम.

ख. हमले के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किये गए हथियार।

ग. तुलसी पर कोला में हमला किया गया और उसके बाद कचराबाई का भागते समय पीछा किया गया और आंगन में उसके साथ मारपीट की गई।

घ. बुल्लू को भुवन के घर से घसीटकर बाहर लाया गया, उसे आंगन में लाया गया और वहां उसके साथ मारपीट की गई।

ई. मोहित अपने घर से भारी हथौड़ा लाया और आँगन में कचराबाई और बुल्लू पर उससे हमला कर दिया। घटना की तारीख़ को सुबह गवाह नानकी नोनी (आ.सा. -2) चारा लेने खेत गई थी, जो वहाँ से दोपहर 12 बजे लौटी। जबकि जानकी गाँव खोखर गई थी और वहाँ से लगभग 11-12 बजे लौटी। गवाह राजकुमार भैंस चराने गया था और वहाँ से लगभग 10-11 बजे लौटा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. झगड़े के आरंभ के समय और परिस्थितियों के संबंध में नानकी नोनी (आ.सा. -2), विमला (आ.सा. -5) तथा राजू (आ.सा. -19) ने बताया है कि कोला में खूंटा गाड़ने के कारण तुलसी, कचराबाई और आरोपीगण के बीच सुबह लगभग 8-9 बजे कोला में कहासुनी हुई। प्रारंभ में नानकी नोनी ने बताया कि उस समय वह चारा लेने गई थी और वहां से दोपहर बजे लौटी, तब तक घटना नहीं हुई थी। हालांकि, बाद में उसने बताया कि अब उसे याद आ रहा है कि घटना खूंटा गाड़ने के कारण शुरू हुई थी और झगड़ा भी इसी वजह से हुआ था। उसने आगे बताया कि घटना दिन में 2-2.30 बजे हुई और शोर सुनकर वह अपनी बेटी के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। उसकी सास और आरोपीगण के बीच सामान्य बातचीत हुई

22. दूसरी ओर, विमला (अभि.सा.-5) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पिता सुबह 10 बजे जांजगीर से लौटे थे, उसके बाद उन्होंने खूँटा लगाना शुरू किया और खूँटा लगाते समय ही मारपीट हुई। इस साक्षी के अनुसार, तुलसी और उसके पिता पर हमला सुबह खूँटा लगाते समय हुआ था। जबकि अभि.सा.-11 जानकी बाई ने दावा किया है कि हमला दिन में लगभग 1.30-2.00 बजे हुआ था। उसने अपने डायरी कथन प्रदर्श.डी-2 में अपने इस कथन का खंडन किया है कि खूँटा लगाने के कारण विवाद हुआ था। अभियोगी क्रमांक 19 ने यह भी बताया है कि घटना दिन के 2.30-3.00 बजे की है। उस दिन वह अपनी भैंसें चराने गया था और वहाँ से सुबह 10-11 बजे लौटा और उसके बाद सो गया। सोते समय उसने 'मारो-पीटो' की आवाज़ सुनी और उसके बाद उसने यह घटना देखी। उसने बताया है कि जब उसके दादा खूँटा लगा रहे थे, तब वह घर में सो रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इन गवाहों के बयानों की बारीकी से जाँच करने पर, हमें घटना के समय के संबंध में भौतिक विसंगतियाँ मिलती हैं, चाहे हमला सुबह 8-9 बजे के आसपास खूँटी लगाते समय हुआ हो या घटना दोपहर 1.30-3.00 बजे के बीच हुई हो, जैसा कि कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है। उनके संबंधित केस डायरी बयानों और प्राथमिकी में मौजूद विभिन्न चूकों के अलावा, हमने यह भी देखा कि नानकी नोनी बाई (आ.सा. -2), विमला (आ.सा. -5) और राजकुमार (आ.सा. -19) ने कहा है कि तुलसी और कचराबाई पर चारों आरोपियों ने हमला किया था, जबकि आ.सा. -11 जानकी बाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी रामचरण को

छोड़कर अन्य तीन आरोपियों ने शुरुआत में तुलसी और कचराबाई पर हमला किया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से विमला (आ.सा. -5) और राजू (आ.सा. - 19) ने अपनी परीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त रामप्यारे लंगड़ा है और वह बिना सहारे के चल नहीं सकता। इस बात के भी साक्ष्य हैं कि अभियुक्त के हाथ-पैर कांपते हैं। हालांकि, इस संबंध में बचाव पक्ष की तर्क़ को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि इस बारे में कोई मेडिकल साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और उन्हें अभियुक्त को देखने का अवसर मिला था और उन्होंने पाया कि वह लंगड़ा नहीं था। उपरोक्त अवलोकन केवल फैसले में दर्ज किया गया है। अभियुक्त मौजूद था जब अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच और प्रतिपरीक्षण की गई थी, हालांकि, संबंधित न्यायाधीश द्वारा उनकी परीक्षा की तिथि पर कार्यवाही में ऐसा कोई अवलोकन दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में पहली बार फैसले में विचारण न्यायालय की टिप्पणी अनुचित है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोप असंभव प्रतीत होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी -1) से पता चला है, यह है कि घटना दोपहर 2 बजे हुई और इसकी रिपोर्ट ननकी नोनी (आ.सा. -2) द्वारा दोपहर 3.35 बजे दर्ज कराई गई। आ.सा. -22 श्री वी.एस. केरकेट्टा, ए.एस.आई., पुलिस स्टेशन जांजगीर ने ननकी नोनी (आ.सा. -2) की सूचना पर प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी -1) दर्ज

की है और मृतक तुलसीरामी के मर्ग सूचना प्रदर्श पी -51 और जांच प्रदर्श पी -16, मृतक कचराबाई के मर्ग सूचना प्रदर्श पी -52 और जांच प्रदर्श पी -17 और मृतक बुल्लू के मर्ग सूचना प्रदर्श पी -52 और जांच प्रदर्श पी -15 को भी साबित किया है। उन्होंने दावा किया है कि इसकी एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दी गई थी, लेकिन उन्होंने वह समय और तारीख नहीं बताई है जब इसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, क्योंकि यह आरोप पत्र में उपलब्ध नहीं है। प्रथम सूचना पत्र में उस समय और तारीख के बारे में कोई समर्थन नहीं है जिस पर इसे मजिस्ट्रेट को भेजा गया था और मजिस्ट्रेट की न्यायालय की कोई रसीद नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अपराध दर्ज करने के बाद घटना की विशेष रिपोर्ट उनके द्वारा वरिष्ठों को भेजी गई थी, हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट आरोप पत्र के साथ दायर नहीं की गई है। इस गवाह ने इस बात से इनकार किया है कि ग्राम पेंड्री में तीन व्यक्तियों की हत्या की सूचना सुबह लगभग 10-10.30 बजे मिली थी और उसके बाद उन्होंने ग्राम सुखली के कोटवार द्वारिका को ग्राम पेंड्री भेजा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. द्वारिका (अभि.सा.-13) जब्ती मेमोरेंडम प्र.पी-5, प्र.पी-13, प्र.पी-8 और प्र.पी-6 का गवाह है, जिसके द्वारा घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी जब्त की गई है। सभी जब्तियाँ घटना के दिन यानी 13.10.1996 को घटनास्थल से की गई थीं। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने बताया है कि वह ग्राम सुखली का कोटवार है, वह सुबह 10.20-10.45 बजे के आसपास पुलिस थाना जांजगीर गया था, लगभग 11-11.30 बजे वह पुलिस आरक्षक के

साथ ग्राम पेंड्री गया और वहाँ उन्हें आँगन में दो लाशें पड़ी मिलीं। जब्ती दोपहर 2.30 से 3.00 बजे तक पूरी हो गई थी। अभि.सा.-2 नानकी नोनी ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 4 में यह भी कहा है कि उसके गांव का एक व्यक्ति पुलिस के साथ उसके घर आया, पुलिस उसे थाने ले गई और उसके बाद उसने प्रदर्श पी -1 की रिपोर्ट दर्ज कराई।

26. इस प्रकार, अभि.सा.-2 ननकी नोनी, अभि.सा.-13 द्वारिका के बयान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पेंड्री में हुई घटना की सूचना पुलिस को अपराध दर्ज होने से पहले ही मिल गई थी, पुलिस दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया था और उसके बाद ही शिकायतकर्ता ननकी नोनी पुलिसकर्मियों के साथ थाने आईं और रिपोर्ट आ.सा.-1 दर्ज कराई, जिससे इस तथ्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि घटना दोपहर 2 बजे हुई थी और पहली बार रिपोर्ट दोपहर 3.35 बजे दर्ज कराई गई थी। अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में जाँच में यह विसंगति महत्वपूर्ण हो जाती है और जैसा कि पहले बताया गया है, घटना के सटीक समय के बारे में कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में भी विसंगति है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. यह तथ्य कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रथम सूचना पत्र की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी, और यह भी कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपराध दर्ज करने की विशेष रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी, प्रथम सूचना पत्र की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेहराज सिंह

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 1994 (5) एससीसी 188 में अपने निर्णय के कंडिका 12 में प्रथम सूचना पत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए यह निर्णय दिया: -

"किसी दाण्डिक मामले में, खासकर हत्या के मामले में, प्रथम सूचना पत्र प्रकरण में पेश किए गए सबूतों की सराहना करने के लिए एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सबूत है। प्रथम सूचना पत्र को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य अपराध के घटित होने की परिस्थितियों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिकाएं शामिल हैं। इस्तेमाल किए गए हथियार, यदि कोई हों, और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के नाम, यदि कोई हों, तो भी। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती है, जो बाद में की जाने वाली सोच का परिणाम है। देरी के कारण, प्राथमिकी न केवल सहजता के लाभ से वंचित रह जाती है, बल्कि एक रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी पेश किए जाने का खतरा भी पैदा हो जाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राथमिकी उस समय दर्ज की गई थी जिस समय उसे दर्ज किया जाना बताया गया है, अदालतें आमतौर पर कुछ बाहरी जाँचों की अपेक्षा करती हैं। इन जाँचों में से एक है स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी की प्रति प्राप्त होना, जिसे हत्या के मामले में विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देर से प्राप्त होती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राथमिकी उस समय दर्ज नहीं की गई थी जिस समय उसे दर्ज किया जाना बताया गया है, जब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी की प्रति भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके। दूसरी बाहरी जाँच, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, शव के साथ प्राथमिकी की प्रति भेजना और जाँच रिपोर्ट में उसका उल्लेख करना है। यद्यपि दं.प्र.सं. की धारा 174 के तहत तैयार की गई जाँच रिपोर्ट का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कार्य करना होता है, फिर भी प्राथमिकी का विवरण और जाँच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। इन विवरणों का अभाव इस बात का संकेत है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी भी प्रारंभिक अवस्था में थी और उसे कोई आकार नहीं दिया गया था और प्राथमिकी बाद में उचित विचार विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज की गई और फिर उसे तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी का रंग देने के लिए पूर्व-निर्धारित किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने थानेदार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) 1 एससीसी 487 में प्रकाशित के मामले में कंडिका 12 का का अवलेख लेते हुए मेहराज सिंह (पूर्वोक्त) मामले में यह कि प्रतिपादित किया:

"मजिस्ट्रेट कोर्ट को प्रथम सूचना पत्र की प्रति भेजने की तारीख का सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा अवसर दिए जाने के बावजूद पेश नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल को भेजी गई जांच रिपोर्ट, मार्का नक्शा या अनुरोध पत्र में अपराध

क्रमांक/प्रथम सूचना पत्र नहीं मिली। आ.सा. द्वारा दी गई जानकारी, यदि कोई हो, के बारे में जांच रिपोर्ट में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। यह माना गया कि इस तथ्य ने प्रथम सूचना पत्र की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा किया, विशेष रूप से इसकी रिकॉर्डिंग के समय और तारीख पर। यह सब बचाव पक्ष के इस कथन का समर्थन करता है कि जिस प्रथम सूचना पत्र में अभियुक्तों के नाम का उल्लेख किया गया है, वह संभवतः बहुत बाद में अस्तित्व में आई होगी।"

**अल्ला चिना अप्पाराव और अन्य बनाम ए.पी.राज्य [(2002) 8 सुप्रीम कोर्ट केस 440]**

में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि;

"प्रथम सूचना पत्र को मजिस्ट्रेट के पास तुरंत भेजने में हुई देरी को, स्वतः ही अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं माना जा सकता है, यदि वह साक्ष्य के आधार पर विश्वसनीय पाया जाता है। हालांकि, यदि ऐसा नहीं है, तो अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता को प्रभावित करता है, खासकर तब जब ऐसी परिस्थितियां हों जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उचित विचार-विमर्श के बाद आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में हेरफेर की संभावना थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिजॉय सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में [(2002) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 147]** में प्रथम सूचना पत्र की प्रति मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजने की आवश्यकता के महत्व और प्रति भेजने में देरी के प्रभाव पर ज़ोर दिया गया है। इस निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि:

> "अभियुक्त पर देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगने का दबाव डालना न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष को हमेशा इस तरह की देरी के लिए स्पष्टीकरण देना होता है और यदि ऐसा किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जब देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय को अभियोजन पक्ष के बयान की बारीकी से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध में कोई निर्दोष व्यक्ति शामिल है या नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रथम सूचना पत्र में विसंगति के अलावा, हमने यह भी देखा कि अभियोग पत्र में कोई मार्का नक्शा उपलब्ध नहीं है, हालांकि 13.10.1996 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के बाद मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने दावा किया है कि उन्होंने मार्का नक्शा तैयार किया है। मृतकों के रिश्तेदारों के नाम, पूछताछ के समय मौजूद लोगों और गवाहों के नाम का उल्लेख पूछताछ रिपोर्ट में नहीं किया गया है। यहां तक कि अपराध क्रमांक भी मृतकों की शव परिक्षण प्रतिवेदन और मांग पत्र में जगह नहीं पाती है। मेहराज सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर

प्रतिकूल टिप्पणी की है कि प्रथम सूचना पत्र या अपराध क्रमांक की जानकारी पूछताछ रिपोर्ट या पोस्टमार्टम के लिए मांग पत्र में नहीं मिली। तथ्य की स्थिति यहां भी कमोबेश एक जैसी है। इसके अलावा, आ.सा. -19 राजू से 13.10.1996 को ही स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन उसका डायरी विवरण 14.10.1996 को ही दर्ज़ किया गया दिखाया गया है ।

29. अभि.सा.-18 एस.एन. पटेरिया, जो संबंधित समय पर जांजगीर पुलिस थाने के थाना प्रभारी थे, ने अपराध दर्ज होने के बाद जांच अपने हाथ में ले ली थी। इस साक्षी ने अपने बयान के कंडिका 21 में कहा है कि अभियुक्तों को 13.10.1996 को हिरासत में लिया गया था और उन्हें औपचारिक रूप से 14.10.1996 को 2300 बजे ही गिरफ्तार किया गया, जबकि कंडिका 25 में कहा गया है कि उन्होंने 13.10.1996 को आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। जाँच के दौरान आरोपी उनके साथ रहे। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वे 13.10.1996 को पेंड्री गाँव नहीं गए थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि 13.10.1996 को आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि उस समय तक उनके खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं था। इसके अनुसरण में मेमोरेंडम और जब्ती की कार्यवाही 14.10.1996 को सुबह 10 बजे से 11.30 बजे के बीच की गई थी। हालांकि, कंडिका 28 में उन्होंने फिर से कहा है कि 13.10.1996 को वह मौजूद नहीं थे, इसलिए वह अक्ती प्रसाद और भुवन प्रसाद का डायरी बयान दर्ज नहीं कर सके । इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि तीन व्यक्तियों की हत्या से जुड़े एक गंभीर अपराध में प्रथम सूचना पत्र में नाम होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के बहुत अच्छे तर्क़ है कि उपरोक्त अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में जांच अधिकारी के पास कोई सबूत उपलब्ध नहीं था और प्रथम सूचना पत्र, पूछताछ रिपोर्ट, मर्ग की सूचना आदि सहित सभी दस्तावेज अगले दिन बाद में तैयार किए गए थे और इन दस्तावेजों में पूर्व-दिनांकित है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए 14 अक्टूबर 1996 को सुबह 10:11 बजे मुर्दाघर में लाया गया, हालाँकि शवों को भेजने का समय 13 अक्टूबर 1996 को शाम 6:00 बजे दिखाया गया है और शवगृह गाँव से केवल दो किलोमीटर की दूरी पर है। कथित चश्मदीद गवाह निस्संदेह अभियोजन पक्ष में गहरी रुचि रखते हैं क्योंकि वे मृतक बुल्लू की पत्नी, पुत्र और पुत्री हैं, हालाँकि, यह अपने आप में उनकी गवाही को खंडित करने का आधार नहीं हो सकता। हालाँकि, यह इस न्यायालय को इस तथ्य के आलोक में उनके साक्ष्य की अधिक सावधानी से जाँच करने के लिए प्रेरित करता है कि प्राथमिकी में नामित स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है और जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. हम पिछले कंडिकाओं में पहले ही देख चुके हैं कि कथित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार घटना के समय में भौतिक विसंगतियां हैं, हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि घटना सुबह लगभग 8-9 बजे खूंटी लगाने के समय हुई, लेकिन नानकी नोनी (आ.स◌ा.

-2), जानकी बाई (आ.सा. -11) और राजू राजकुमार (आ.सा. -19) द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार मारपीट की घटना दोपहर 1.30-3.00 बजे के बीच हुई थी। दूसरी ओर, मृतक बुल्लू और शिकायतकर्ता नानकी नोनी की बेटी विमला (आ.सा. -5) ने कहा है कि मारपीट की घटना सुबह लगभग 10.00 बजे हुई जब उसके पिता खूंटी लगा रहे थे, जिस पर आरोपियों ने आपत्ति जताई थी। जैसा कि पिछले कंडिकाओं में बताया जा चुका है, विमला को छोड़कर अन्य तीन कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वे सुबह अपने घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे भैंस चराने, चारा लाने और इलाज के लिए खोखर गाँव गए थे। इसलिए, इन गवाहों द्वारा दिया गया घटना का विवरण हमें विश्वास नहीं दिलाता। इस प्रकार, सुबह घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के मेमोरेंडम के आधार पर जप्ती कार्यवाही की है और सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तों से संबंधित निम्नलिखित वस्तुएं मानव रक्त से सनी हुई पाई गईं।

- आरोपी रामावतार की शर्ट एवं पैंट (एल 1 एवं एल 2)
- मोहितराम की रॉड (एन)
- रामचरण की लाठी एवं धोती (पी एवं क्यू)।
- रामप्यारे की लुंगी (एसआई)।

32. हम पिछले कंडिकाओं में पहले ही यह मान चुके हैं कि प्रथम सूचना पत्र में समय के साथ छेड़छाड़ की गई है और प्रथम सूचना पत्र में जानबूझकर की गई हेराफेरी निष्पक्ष जांच की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। जब्त की गई और विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा उसके बाद जांच के लिए सीरोलॉजिस्ट को भेजी गई वस्तुओं को बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में विशेष आपत्ति के बावजूद प्रकरण के दौरान पेश नहीं किया गया। इसलिए, हमारी सुविचारित अभिमत में, इस पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। आरोपी व्यक्तियों से जब्त की गई वस्तुओं में मानव रक्त की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया है, विशेषकर जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे मृत व्यक्तियों के रक्त समूह से संबंधित हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. जहां तक बिकाऊ पांडे (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून का संबंध है, उद्धृत मामले में आरोपी की कथित उम्र के आधार पर क्षेत्राधिकार का विषय किशोर अधिनियम के आधार पर उठाया गया था। हालाँकि यह प्रश्न निचली अदालतों यानी विचारण न्यायालय और अपील में कभी नहीं उठाया गया था। घटना के समय किशोर अधिनियम पर आधारित तर्क अस्तित्व में नहीं थे, आरोपी की उम्र निर्धारित करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब आरोपी एक तर्क़ देता है और न्यायालय को संदेह होता है। हालांकि, तर्क़ पर विचार किया गया और एक निर्णय दिया गया कि वह एक बच्चा नहीं था और इन परिस्थितियों में यह माना गया कि बच्चे के पिता द्वारा दायर स्वयंभू हलफनामे को स्वीकार करके स्कूल

रजिस्टर को गलत बताने की तर्क़ अस्थिर है। इन तथ्यों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों पर को सदाथित करते हुए अभिनिर्धारित किआ है कि भले ही जांच के संचालन में अनियमितताएं या अवैधताएं हों फिर भी, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अपराध की उत्पत्ति और स्त्रोत को दबा दिया है। घटना के समय, प्रथम सूचना पत्र, सबसे पहले उस समय के बारे में विसंगतियां हैं जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन ले गए, को दबा दिया गया है। प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी -1) बाद में तैयार की गई प्रतीत होती है और यह पूर्व-समय और दिनांकित है। घटनास्थल पर कथित चश्मदीद गवाहों नानकी नोनी (आ.सा. -2), जानकी (आ.सा. -11) और राजू राजकुमार (आ.सा. -19) की मौजूदगी को संदिग्ध माना गया है। इन परिस्थितियों में जांच में अनियमितताएं, जैसा कि बचाव पक्ष ने बताया है, मामले की जड़ तक जाती हैं और यही प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी -1) की प्रामाणिकता और उक्त हेरफेर की गई प्रथम सूचना पत्र के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जांच के बारे में हमारे मन में गंभीर संदेह पैदा करती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा विचार है कि इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाला आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है और अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

35. तदनुसार, अपीलकर्ता रामचरण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 344/2001 और अपीलकर्ता रामप्यारे, रामअवतार एवं मोहितराम द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 382/2001 सफल होती हैं। अपीलकर्ता रामचरण, रामप्यारे, रामअवतार एवं मोहितराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उस धारा के अंतर्गत उन पर अधिरोपित दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उस आरोप से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

एल.सी. भादू

**न्यायाधीश**

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By Shriya Jaiswal, Advocate**